न्यायालय :—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद, जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर (म0प्र0)
(समक्ष— पूर्वी तिवारी)

(निर्णय दिनाँक :—30.09.2024)

आपराधिक प्रकरण क्र.—73 / 2020
फाईलिंग नं.—299 / 2020
सी.एन.आर.नं.—M.P.100600-0347-2020
संस्थित दिनाँक—15.07.2020

(प्राथमिक वन अपराध क्रमाँक 3610 / 18 और वन परिक्षेत्र सनावद, बीट—बासवां, जिला खरगोन म.प्र.)

शिकायतकर्ता	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन विभाग, वन परिक्षेत्र सनावद, बीट—बासवां, वनमंडल—बड़वाह
शासन द्वारा प्रतिनिधित्व	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संतोष करोले
अभियुक्तगण	**1.** मंसूर पिता शफी मोहम्मद खान, उम्र—41 वर्ष **2.** पप्पू पिता अब्दुलहक कुरैशी, उम्र—44 वर्ष, निवासीगण—बाजार चौक, पुनासा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)
अभियुक्तगण द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री गणेश मालवीय, अधिवक्ता।

फार्म—बी

अपराध की तारीख	23.12.2019
वन अपराध रिपोर्ट की तारीख	23.12.2019
आरोप—पत्र की तारीख	15.07.2020
आरोपों के विरचना की तारीख	11.03.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	25.09.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	30.09.2024
निर्णय की तारीख	30.09.2024
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/धारा–41 द.प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	मंसूर पिता शफी मोहम्मद	23.12.2019	23.12.2019	26(1)(छ), 41/42, 3/22 भा. वन अधि. 1927	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक
2.	पप्पू पिता अब्दुलहक	23.12.2019	23.12.2019	26(1)(छ), 41/42, 3/22 भा. वन अधि. 1927	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	अरविंद सिंह सेंगर	तोल पंचनामे के साक्षी
अ.सा. 2	भगवतीप्रसाद उपाध्याय	जप्ती के साक्षी
अ.सा. 3	लखन	जप्ती के साक्षी
अ.सा. 4	सत्यनारायण सोनी	अनुसंधानकर्ता
अ.सा. 5	अजय भाटिया	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 6	प्रकाश शाही	जप्ती के साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	मौका पंचनामा
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	तौल पंचनामा
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.2	जप्ती पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.2	जप्ती पंचनामा
5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.2	जप्ती पंचनामा
6	प्रदर्श पी.6/अ.सा.2	तलाशी पंचनामा
7	प्रदर्श पी.7/अ.सा.2	तलाशी पंचनामा
8	प्रदर्श पी.8/अ.सा.2	सुपुर्दगी पंचनामा
9	प्रदर्श पी.9/अ.सा.2	सुपुर्दगी पंचनामा
10	प्रदर्श पी.10/अ.सा.3	पी.ओ.आर.
11	प्रदर्श पी.11/अ.सा.4	सुपुर्दगी पंचनामा
12	प्रदर्श पी.12/अ.सा.4	अभियुक्त मंसूर का गिरफ्तारी पंचनामा
13	प्रदर्श पी.13/अ.सा.4	अभियुक्त पप्पू का गिरफ्तारी पंचनामा
14	प्रदर्श पी.14/अ.सा.4	अभियोजन स्वीकृति
15	प्रदर्श पी.15/अ.सा.4	जप्ती पंचनामा

ख. प्रतिरक्षा

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. कं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक		

//निर्णय//

01. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26 (1)(छ), 41/42 एवं म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 के नियम 3/22 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनाँक–23.12.2019 को रात्रि लगभग 11:45 बजे, वन मंडल बड़वाह, परिक्षेत्र सनावद, बीट बासवा के अंतर्गत सनावद में सलई गोंद वनोपज का विनिर्माण की प्रक्रिया में उसका संग्रहण कर परिवहन किया, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा–41 के अधीन बनाये गए नियमों को उल्लंघन किया एवं बिना किस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन किया।

02. अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 22.12.2019 को रात्रि 11:45 बजे वन विभाग में पदस्थ अधिकारीगण को सूचना प्राप्त हुई पुलिस थाना सनावद द्वारा अवैध रूप से बोलेरो नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में सब्जी ले जाने वाली केरेट से ढककर 17 कट्टों में लघु वनोपज सलई गोंद वाहन स्वामी पप्पू एवं मसूंर द्वारा परिवहनित करते पाया गया है एवं उक्त वाहन को पुलिस थाना में खड़ा किया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी एन. के. परिहार पुलिस थाना सनावद गए, जहां पर उक्त वाहन मय उक्त दोनों अभियुक्तगण को एन.के. परिहार को पंचनामा बनाकर आगामी कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया, जिसके बाद परिक्षेत्र सहायक एस.एन. सोनी द्वारा उक्त वाहन को बड़वाह ले जाया गया, जहां पर उक्त पिक–अप वाहन में 9 क्विंटल 57 किलो सलई गोंद अभियुक्तगण से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। दोनों अभियुक्तगण से मोबाईल व नगदी रूपये जप्त किये गए, जप्तशुदा गोंद को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोला गया, अभियुक्तगण का तलाशी पंचनामा बनाया गया, अभियुक्तगण को गिरफतार कर गिरफ्तारी पंचनामें बनाये गए, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये और आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26 (1)(छ), 41/42 एवं म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 के नियम 3/22 का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनाँक–15.07.2020 को प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्तगण पप्पू एवं मंसूर को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उन्होंने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण की मांग की है तथा धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष बताते हुए, प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण ने उनके बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित

विचारणीय बिन्दु हैः—

01. क्या अभियुक्तगण पप्पू एवं मंसूर दिनाँक—23.12.2019 को रात्रि लगभग 11:45 बजे, वन मंडल बड़वाह, परिक्षेत्र सनावद, बीट बासवा के अंतर्गत सनावद में सलई गोंद वनोपज का विनिर्माण की प्रक्रिया में उसका संग्रहण कर परिवहन किया?

02. क्या अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर ने उक्त घटना, दिनाँक, समय व स्थान पर वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा—41 के अधीन बनाये गए नियमों को उल्लंघन किया?

03. क्या अभियुक्त पप्पू व मंसूर ने उक्त घटना, दिनाँक, समय व स्थान पर बिना किस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन किया?

—:: निष्कर्ष एवं विवेचना ::—
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के संबंध में —

05. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर अनन्योनाश्रित होने के कारण, साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से, उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06. प्रकरण के साक्षी **अरविंद सिंह सेंगर (अ0सा0—1)** ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 22.12.2019 को वन परिक्षेत्र सनावद की बीट डुडगांव में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी सनावद द्वारा एक सफेद रंग की बोलेरो पकड़ने के संबंध में साहब को सूचना मिली थी, जिसमें गोंद रखा पाया था। गोंद के ऊपर प्लास्टिक की केरेट रखे थे। उक्त सूचना से साहब ने उन्हें अवगत करवाया, उसके बाद वह थाना सनावद पहुंचे थे, जहां पर बोलेरो नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 व दो अभियुक्त को वाहन में रखे गोंद सहित पुलिस थाना द्वारा उन्हें सुपुर्द किया गया था, जिसके संबंध में प्र.पी.—1 का पंचनामा बनाया गया था। उसी दिनांक को उक्त वाहन को रूद्राक्ष भवन रेस्ट हाउस बड़वाह ले जाया गया था, वहां पर दिनांक 23.12.2019 को गोंद का वजन किया गया था, जो 17 कट्टों में होकर 957.200 किलोग्राम थी, जिसका तोल पंचनामा प्र.पी.—2 साक्षी गौरव व लखन सोलंकी के समक्ष बनाया गया था।

07. इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में, पुलिस थाना सनावद द्वारा अभियुक्तगण से ही उक्त वाहन पकड़े जाने के संबंध में उसे जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.—1 के पंचनामें में किसी भी स्वतंत्र पंचान साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा गोंद के बोरों का वजन नहीं किया गया था, रेस्ट हाउस के चौकीदार भगवान व शोभाराम के द्वारा उसके समक्ष वजन किया गया था, जबकि तौल पंचनामें पर उक्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उनकी साक्ष्य प्रकरण में मौजूद है। यह भी उल्लेखनीय है कि तौल पंचनामें के पंचान

साक्षी गौरव को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्र.पी.–1 का मौका पंचनामा व प्र.पी.–2 का तौल पंचनामा संदेहास्पद प्रतीत होकर, उसकी अंतर्वस्तु प्रमाणित नहीं होती है।

08. उक्त साक्षी का समर्थन प्रकरण के अन्य साक्षी **भगवतीप्रसाद (अ0सा0–2)** ने किया है एवं स्वयं की साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 23.12.2019 को सनावद में वनपाल के विशेष कर्तव्य पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मौके पर साहब ने जप्ती की कार्यवाही की थी, जिसमें पिक–अप वाहन नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 एवं रखी सलई गोंद जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त मंसूर व पप्पू दोनों से अलग–अलग पैसे और मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा क्रमशः प्र.पी.–4 व प्र.पी.–5 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को अभियुक्तगण की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्र.पी.–6 व प्र.पी.–7 बनाये गए थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साहब ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। दिनांक 06.01.2020 को अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर को उनसे जप्त किये गए पैसे व मोबाईल सुपुर्द किये थे, जिसके संबंध में क्रमशः प्र.पी.–8 व 9 के दस्तावेज तैयार किये गए थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया प्र.पी.–3 लगायत 07 की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उसके अधिकारियों ने कहा था कि उनके द्वारा कार्यवाही की गई है, हस्ताक्षर कर दो, तो उसने अधिकारियों के कहने पर दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर दिये थे। उक्त साक्षी के कथन अभियोजन कहानी को पूर्ण रूप शंकास्पद बनाते हैं, क्योंकि साक्षी से किसी भी कार्यवाही को उसके समक्ष संपन्न होने से इंकार व्यक्त किया है।

09. प्रकरण के अन्य साक्षी **लखन सोलंकी (अ0सा0–3)** ने उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि वह दिनांक 23.12.2019 को वन रक्षक के पद पर सनावद में पदस्थ था। उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी एवं प्र.पी.–3 के जप्ती पत्रक अनुसार उक्त वाहन एवं गोंद को जप्त किया गया था। जप्ती के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके बाद जांच परिक्षेत्र सहायक सनावद द्वारा की गई थी। उसके द्वारा प्र.पी.–10 का पी.ओ.आर. क्र. 3610/18 काटा गया था। इसी साक्षी ने प्र.पी.–2 के तौल पंचनामा एवं प्र.पी.–1 के पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

11. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने थाने पर किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये थे और ना ही थाने पर कोई कार्यवाही की थी। यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.–3 के जप्ती पत्रक पर उसके अतिरिक्त किसने हस्ताक्षर किये थे, वह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में गोंद का वजन करना बताया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वजन उसके द्वारा नहीं किया गया था और कौनसे केरेट में कितना वजन किया था, इसकी तथ्य की जानकारी उसे नहीं है। इसी साक्षी ने यह भी स्वीकार किया प्र.पी.–10 के

पी.ओ.आर. में उसने अपराध की धाराएं उसके अधिकारियों के कहने पर लिखी हैं। इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में गंभीर विरोधाभास दर्शित है, जिससे अभियोजन साक्षी लखन की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत न होते हुए, उसका कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं होता है।

10. प्रकरण के अन्य साक्षी **उनि. अजय भाटिया (अ0सा0–5)** ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह दिनांक 22.12.2019 को थाना सनावद पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनि. दीपक तलवारे को पिक–अप नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में अवैध सामग्री आने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे अवगत करवाकर वह, दीपक तलवारे, आरक्षक अजय सोलंकी व प्रकाश शाही रेलवे फाटक पर गए थे। उपरांत पहुंच कर उन्होंने प्रश्नगत् पिक–अप को रोका था, उसमें अभियुक्तगण बैठे हुए थे। पिक–अप को चैक करने पर उसमें 17 बोरे गोंद भरा होना पाया था, जिसके संबंध में अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया।

12. उक्त कारणवश वाहन को लेकर थाने पर आये थे, जहां पर वन विभाग के लोग उपस्थित थे और पंचनामा प्रकाश शाही द्वारा बनाया गया था। इसी साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि घटना स्थल के पंचनामें पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि सनावद थाने पर बोरियों को तोला था, जबकि साक्षी अरविंद सिंह सेंगर (अ0सा0–1) व अनुसंधान साक्षी सत्यनारायण सोनी (अ0सा0–4) ने रूद्राक्ष भवन रेस्ट हाउस, बड़वाह में गोंद का वजन करना बताया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने उनि. दीपक तलवारे को सूचना प्राप्त होने संबंधी कथन किये हैं, जबकि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्षी प्रकरण में परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में पुलिस को क्या सूचना प्राप्त हुई थी।

11. अभियोजन साक्षी **उनि. प्रकाश शाही (अ0सा0–6)** ने उनकी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 22.12.2019 को थाना सनावद पद पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, तब थाने पर एन.के. परिहार द्वारा गाड़ी नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 को लाया गया था, जिसमें वन उपज गोंद की 17 बोरियां अवैध रूप से रखी हुई थी, गोंद के संबंध में दस्तावेज नहीं होने पर हरीश व परिहार साहब के समक्ष गोंद मय वाहन को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–15 बनाया था और आगामी कार्यवाही वन विभाग द्वारा की गई थी और उनके कथन लेखबद्ध किये गए थे।

14. इसी साक्षी ने उनके प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह घ टना स्थल पर नहीं गए थे, जबकि साक्षी **उनि. अजय भाटिया (अ0सा0–5)** ने बताया था कि प्रकाश शाही भी उनके साथ घटना स्थल पर गए थे। यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से उक्त वाहन व गोंद उनके समक्ष जप्त नहीं किया गया था। उनके द्वारा प्र.पी.–13 के पंचनामें में रोजनामचा सान्हा में दर्ज होने का उल्लेख होना बताया गया है, जबकि उक्त रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी द्वारा पंचान साक्षी हरीश व एन.के. परिहार के समक्ष जप्ती की कार्यवाही की जाना बताया है, जबकि प्रकरण में न

तो हरीश और ना ही एन.के. परिहार को अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई बल व सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12. प्रकरण के अनुसंधान साक्षी **सत्यनारायण सोनी (अ0सा0–4)** ने अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी अरविंद सिंह सेंगर (अ0सा0–1), भगवतीप्रसाद (अ0सा0–2) व लखन सोलंकी (अ0सा0–3) के समान ही कथन किये हैं, किंतु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनको पुलिस थाना सनावद द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की थी या नहीं, उसके संबंध में उन्हें थाने से कोई दस्तावेज नहीं दिये गए थे। पुलिस ने अभियुक्तगण को किस स्थान पर कैसे पकड़ा था, इसकी जानकारी होने से भी इंकार व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी। यह भी बताया है कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी के कथन नहीं लिये थे और प्रकरण में भी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्र.पी.–1, 4 लगायत 7 एवं 11 लगायत 13 के दस्तावेजों में कार्यालय की सील नहीं लगी है, जिसकी पुष्टि स्वयं अनुसंधान साक्षी ने उनकी साक्ष्य में की है।

13. यह अवलोकनीय है कि अभियुक्तगण से जप्तशुदा गोंद प्रतिबंधित वन उपज सलई गोंद ही हो, इस संबंध में वन विभाग द्वारा कोई जांच नहीं करवायी गई है और ना ही अभियोजन द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी सत्यनारायण सोनी (अ0सा0–4) एवं भगवतीप्रसाद (अ0सा0–2) ने उनकी साक्ष्य में अभियुक्तगण से रूपये व मोबाईल जप्त करना बताया है, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त संपत्ति उनसे किस प्रयोजन हेतु जप्त की गई थी, जबकि जप्तशुदा मोबाईल और रूपयों का प्रकरण से कोई संबंध होना परिलक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षी होकर वन एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी/अधिकारी हैं एवं किसी भी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। साथ ही प्रकरण के साक्षीगण ने भी एक–दूसरे के विपरीत कथन किये हैं, जिससे पुलिस और वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होती हैं।

14. अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास दर्शित है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा प्रतिबंधित वन उपज सलई गोंद का संग्रहण या परिवहन किया जाना दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26 (1)(छ), 41/42 एवं म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 के नियम 3/22 का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

15. इस प्रकार प्रकरण के अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए, प्रकरण में अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर के विरूद्ध ऐसी कोई अक्षेपित साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जिससे परिलक्षित हो सके कि अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर ने दिनाँक–23.12.2019 को रात्रि लगभग 11:45 बजे, वन मंडल बड़वाह, परिक्षेत्र सनावद, बीट बासवा के अंतर्गत सनावद में

सलई गोंद वनोपज का विनिर्माण की प्रक्रिया में उसका संग्रहण कर परिवहन किया, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा–41 के अधीन बनाये गए नियमों को उल्लंघन किया एवं बिना किस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन किया।

16. फलतः अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–26 (1)(छ), 41/42 भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं नियम–3/22 म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 के दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

17. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि पश्चात् इस शर्त के साथ भारमुक्त किये जाते हैं कि अपील होने की दशा में अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

19. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में नहीं रहे हैं। इस संबंध में धारा–428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो मोबाईल व नगद राशि उनके स्वामि अभियुक्तगण की अंतरिम अभिरक्षा में सुपुर्दगी पर है। अतः अपील अवधि अवसान, अपील ना होने की दशा में उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त समझा जाए। अन्य दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिक–अप नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 व 17 कट्टे सलई गोंद को वन मंडल, बड़वाह द्वारा शासन के पक्ष में राजसात किया जा चुका है।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।	मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।
(पूर्वी तिवारी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,सनावद, प.नि. (म.प्र.)	**(पूर्वी तिवारी)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,सनावद, प.नि. (म.प्र.)

POORVI TIWARI

Digitally signed by POORVI TIWARI
Date: 2024.09.30 14:59:46 +0530